मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31-3-15

कमांक–एफ– 3–26/2015/18–5 एतद् द्वारा राज्य शासन Ease of Doing Business के लिए प्रदेश के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत कालोनी के ले–आउट की विकास अनुज्ञा तथा म.प्र. नगर पालिक अधिनियम 1956 के तहत बिल्डिंग परमिशन तथा म0प्र0 नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबर्धन तथा शर्तें) नियम 1998 के तहत विकास की अनुमति प्रदान करने की Single Door प्रणाली की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :–

1. नगर पालिक निगम के कालोनी सेल में उपरोक्त समस्त आवेदन प्राप्त किए जाएगे। सेल में नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय से नजूल अनापत्ति एवं व्यपवर्तन अनुमति प्रदाय करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी, संबंधित विकास प्राधिकरण तथा म0प्र0 गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मंडल के प्रतिनिधि शामिल होगे।
2. उक्त विभागों के प्रतिनिधि म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, म.प्र. नगर पालिक अधिनियम 1956 तथा म0प्र0 नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबर्धन तथा शर्तें) नियम 1998 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर समय सीमा में अनापत्ति/अनुज्ञा उपलब्ध करायेगे।
3. सक्षम प्राधिकारी (संबंधित नगर निगम आयुक्त) नियमित रूप से (15 दिवस में एक बार) प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन करेगें, जिसमें संबंधित नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय से नजूल अनापत्ति एवं व्यपवर्तन अनुमति प्रदाय करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्राधिकरण एंव म0प्र0 गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मंडल के प्रतिनिधि सम्मिलित होगे।
4. सभी संबंधित कार्यालयों की अनुज्ञा तथा अनापत्ति इसी बैठक में प्रस्तुत की जावेगी। अनुज्ञा/अनापत्ति जारी न कर सकने की स्थिति में तद्नुसार लिखित जानकारी भी इसी बैठक में प्रस्तुत की जावेगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायें कि अधिनियम/नियम में निर्धारित समयावधि में इन प्रकरणों का उनकी प्रकिया अनुसार निराकरण कर दिया जायें। प्राप्त आवेदन पत्रों तथा निराकरण का प्रारूप संबंधित विभाग के नियमों अंतर्गत रहेगा।
6. उपरोक्त समस्त कार्यवाही ऑनलाईन किये जाने संबंधी व्यवस्था संबंधित नगर निगम में यथाशीघ्र प्रारंभ की जाये, जिसमें सभी संबंधित विभागों से पत्राचार भी ऑनलाईन की जायें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22/5/2015

"आदेश"

कमांक–एफ– 3–26/2015/18–5 एतद् द्वारा विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 31.03.2015 द्वारा विकास की अनुमति प्रदान करने के लिये सिंगल डोर प्रणाली की व्यवस्था लागू की गई है। इसी की निरंतरता में यह भी निर्देशित किया जाता है कि कालोनी विकास की अनुमति प्रदान करने हेतु सिंगल डोर प्रणाली अंतर्गत जिन विभागों/कार्यालयों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना आवश्यक है वे सभी विभाग/कार्यालय अपने प्रतिनिधियों को संयुक्त स्थल निरीक्षण करने हेतु निर्देशित करेगें। स्थल निरीक्षण का समय एंव तिथि का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी (संबंधित नगर निगम, आयुक्त) द्वारा नियत किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 22/5/2015

पृष्ठा0क0–एफ– 3–26/2015/18–5

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एंव विकास म0प्र0 भोपाल।
2. आयुक्त, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, म0प्र0 भोपाल।
3. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मंडल, म.प्र. भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर, की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि, अधीनस्थ कलेक्टर कार्यालय से नजूल अनापत्ति एवं व्यपवर्तन अनुमति प्रदाय करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी, को तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. आयुक्त, समस्त नगर पालिक निगम।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ...विकास प्राधिकरण (समस्त)।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल दिनांक 01/06/2015

कमांक–एफ–3/34/2015/18–5:–राज्य शासन एतद् द्वारा **Ease of Doing Business** के लिये प्रदेश के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत कालोनी के ले–आउट की विकास अनुज्ञा तथा मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम 1956 के तहत बिल्डिंग परमिशन तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबर्धन तथा शर्तें) नियम 1998 के तहत विकास की अनुमति प्रदान करने की **Single Door** प्रणाली के तहत नजूल एन ओ सी प्राप्त करने के लिये आवेदक को बाध्य नहीं किया जायेगा और न ही उसे प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जायेगे, नजूल एन ओ सी उपलब्ध कराने का दायित्व पूर्णतःकालोनी सेल में उपस्थित में कलेक्टर कार्यालय से नजूल अनापत्ति प्रस्तुत करने वाले विभागीय प्रतिनिधि का होगा तथा विभागीय प्रतिनिधि से नियत अवधि में इस संबध में प्रतिवेदन लिया जायेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस के मुदगल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल दिनांक /06/2015

पृष्ठा क–एफ–3/34/2015/18–5

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त गृह निर्माण मण्डल म0 प्र0 भोपाल ।
2. आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल ।
3. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. समस्त कलेक्टर की और इस लेख के साथ प्रेषित है कि अधीनस्थ कलेक्टर कार्यालय से नजूल अनापत्ति एवं व्यपवर्तन अनुमति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें ।
5. आयुक्त, समस्त नगर पालिक निगम म0प्र ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त विकास प्राधिकरण म0प्र0 ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 31-3-15

क्र0-एफ- 3-26/2015/18-5

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एंव विकास म0प्र0 भोपाल।
2. आयुक्त, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, म0प्र0 भोपाल।
3. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मंडल, म.प्र. भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर, की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि, अधीनस्थ कलेक्टर कार्यालय से नजूल अनापत्ति एवं व्यपवर्तन अनुमति प्रदाय करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी, को तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. आयुक्त, समस्त नगर पालिक निगम।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ...विकास प्राधिकरण (समस्त)।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22-9-15

"आदेश"

क्रमांक–एफ–3–52/2015/18–5 म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73 में निर्देश प्रदाय किये जाते है कि, प्रदेश के समस्त नगरो जहाँ विकास योजनाएँ लागू है, वहाँ म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 क(1)क तथा धारा 23 क(1)ख एंव म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 के प्रावधान अनुसार भू–उपयोग उपातंरण के आवेदन पर लगने वाली समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र.	विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना में उपातंरण	धारा 23–क(1) (ख) में प्राप्त आवेदन पर नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम	समय सीमा	टिप्पणी
1	आवेदक द्वारा शासन को प्रेषित आवेदन के पश्चात् शासन द्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित करना।	प्रारूप–11 – नियम 15 (1)	10 कार्य दिवस	नियम 15 (2) में प्रावधान अनुसार आवेदन शुल्क प्राप्त होने के पश्चात्
2	संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा सिटॉप को परीक्षण हेतु आवेदन प्रेषित करना।	नियम 15 (4)	07 कार्य दिवस	
3	सिटॉप द्वारा निर्धारित परीक्षण शुल्क प्राप्त होने के पश्चात् परीक्षण एंव आवेदक से सुसंगत अतिरिक्त/आवश्यक जानकारी प्राप्त करना।	15 (4) (क)	14 कार्य दिवस	सिटॉप द्वारा निर्धारित परीक्षण शुल्क प्राप्त होने के पश्चात्
4	नियम 15 (4) (ग) संबंधित शासकीय विभागों/संस्थाओं से अभिमत प्राप्त करना	–	21 कार्य दिवस	यदि संबंधित शासकीय विभागों/संस्थान द्वारा 21 दिन में अभिमत नहीं दिया जाता है तो प्रस्तावित भूमि उपयोग उपातंरण की स्थिति में उनकी सहमति मानी जावेगी।
5	सिटॉप कार्यालय द्वारा आवेदन का परीक्षण शुल्क प्राप्त होने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत करना	नियम 15 (5)	अधिकतम 30 कार्य दिवस	सिटॉप द्वारा परीक्षण के दौरान आवेदक से सुसंगत अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने में लगने वाली अवधि को 30 कार्य दिवस

				की समय सीमा में नहीं जोड़ा जावेगा।
6	सिटॉप कार्यालय द्वारा समिति की अनुशंसायें संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित करना एंव संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा समिति की अनुशंसा एंव स्वंय का अभिमत शासन को प्रेषित करना।	15 (7)	07 कार्य दिवस	
7	समिति की अनुशंसाये प्राप्त होने के पश्चात् शासन स्तर पर परीक्षण तथा प्रारंभिक सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन का निर्णय लिया जाना ।	नियम 15(8)	30 कार्य दिवस	शासन द्वारा संचालक, नग्रानि से जानकारी चाहे जाने पर यह समयावधि समय–सीमा में सम्मिलित नहीं होगीं।
8	प्रारंभिक सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करना।		15 कार्य दिवस	
9	सार्वजनिक सूचना का हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रारूप 12 में प्रकाशन	प्रारूप 12	30 कार्य दिवस	संचालक, नग्रानि द्वारा सूचना प्रकाशन की 15 दिवस की समयावधि पश्चात् 7 दिवस में शासन को समाचार पत्रों की मूल प्रतियॉ तथा कोई आपत्ति/ सुझाव प्राप्त हुआ है अथवा नहीं की जानकारी
10	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में आपत्तियॉ या सुझाव की सुनवाई का अवसर देना	नियम 15(9)	15 कार्य दिवस	संचालक से उपांतरण की सूचना की प्रतियॉ तथा आपत्तियों की जानकारी प्राप्त होने पर
11	राज्य सरकार द्वारा आपत्ति/सुझावों पर सुनवाई उपरांत उपांतरण का निर्णय लेती है तो संचालक, नग्रानि से उपातंरण शुल्क की गणना कराई जायेगी	नियम 15 (13) (क)	15 कार्य दिवस	शासन द्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से उपातंरण शुल्क की गणना चाहे जाने पर उपातंरण शुल्क की जानकारी प्रस्तुत की जावेगी।